

डिकी मुल वाद मे अन्तिम डिकी बमुकदमे ईव्त्दाई

अ. आ. 20 नि. 6-7 व्या. प्रकिया संहिता

न्यायलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रकरण स. 495/2022

रामप्रताप पुत्र श्री उतमाराम जाति भाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)

- वादी

बनाम्

प्रेमकुमार 2 बूढाराम 3 जवाहरलाल पुत्रगण श्री उतमाराम जाति भाट 4 विवेक पुत्र स्वः कृष्णा 5 सुनील कुमार पुत्र श्री सिकन्दरपाल 6 सिकन्दरपाल पुत्र श्री कमला देवी पत्नी पृथ्वीराज 7 इन्द्रा पुत्री श्री कमला देवी पत्नी पृथ्वीराज 8 नूरा पुत्री श्री कमला देवी पत्नी पृथ्वीराज 9 सरोज पुत्री कमला देवी पत्नी पृथ्वीराज समस्त जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज) 10 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा 11 बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया 12 भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया 13 तहसीलदार राजस्व संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88,53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री शिवशंकर वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री अनिल चोयल वकील प्रतिवादी स. 1ता3 श्री रविन्द्र भोबिया प्रतिवादी स. 11 श्री संजय साहेवाल प्रतिवादी स. 12 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिकी दी जाती है एवं घोषित किया जाता है कि:-

वादी रामप्रताप चक 1 आईडीजी खाता सं. 46/8 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 प.नं. 148/125 मु.नं. 36 कि.नं. 1,6ता10,16/.253है.प्र., 17/1.126है., प.न. 149/125 मु.न. 37 कि.न. 10/.253है., कुल 2.150है. कृषि भूमि एवं प्र.स. 1 प्रेम कुमार को चक 1 आईडीजी खाता सं. 128/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 प.नं. 150/121 मु.नं. 14 कि.नं.19ता22/0.253है.प्र., कुल 1.012है. कृषि भूमि चक 1 आईडीजी खाता सं. 45/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 प.नं. 150/122 मु.नं. 21 कि.नं. 4/1.52है.,7/0.51है. कुल 0.203है. कृषि भूमि प्र.स. 2 बूढाराम को चक 1 आईडीजी खाता सं. 45/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 प.नं. 150/122 मु.नं. 21 कि.नं. 7/2.02है.,14,17,24/.253है.प्र.कुल 0.961है. इसी चक 1 आईडीजी खाता सं. 43/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 प.नं. 150/122 मु.नं. 21 कि.नं. 23/.253है. कुल 0.253है. कृषि भूमि एवं प्र.स. 3 जवाहरलाल को चक 1 आईडीजी खाता सं. 45/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 प.नं. 150/122 मु.नं. 21 कि.नं. 4/1.01है., 5/1/2.28है., 5/2/0.25है. गै.मु. खाला ,6/1/2.28है.,6/2/0.25है. गै.मु. खाला,15/1/2.28है.,15/2/0.25है. गै.मु. खाला, 16/1/2.28है., 16/2/0.25है. गै.मु. खाला 25/1/2.28है.,25/2/0.25है. कुल 1.366है. मय गै.मु. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार रकमराज अलग से कायम की जाती है। उक्तानुसार चक 1 आईडीजी के खाता स. 46/8 मे प्रतिवादी स. 1ता3 तथा इसी चक 1 आईडीजी के खाता स. 128/44, 45/60 व 43/95 मे वादी का उक्तानुसार नाम कलमजन किया जावे।

नोट:- यदि डिकित वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमलदरामद मुताबिक हक हिस्सा किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

निज... निल... मुब्लिक... निल... बाबत... निल... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसुलयाबी तक ... को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनाक 7.10.21 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

महासहक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया